न्यायालय सहायक कलक्टर रियांबड़ी जिला नागौर
बईजलास श्री सुरेश कुमार आर.ए.एस
मुकदमा संख्या 254/2024

वादी :–
1–सुशील पुत्र हरीराम जाति जाट
निवासी मुंगदड़ा तहसील रियांबड़ी जिला नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण :–
1–रामकंवरी पत्नि हरीराम
2–महेन्द्र पुत्र केसाराम
3–रामदेव पुत्र दयालराम
4–मस्तुदेवी पुत्री हरीराम
5–सुशीला पुत्री हरीराम
6–गेवरी पत्नी केसाराम
7–सुमित्रा देवी पुत्री केसाराम
8–प्रेस्ता पुत्री दयालराम
9–मंजुदेवी पुत्री केसाराम
सभी जातियान जाट निवासीगण मुंगदड़ा तहसील रियांबड़ी
6– तहसीलदार रियांबड़ी
7–पटवारी हल्का मुंगदड़ा तहसील रियांबड़ी

दावा बाबज खातेदारी घोषणा व बंटवाड़ा अंतर्गत धारा 88 व 53 आर.टी.एक्ट

निर्णय

दिनांक :– 16/10/24

वादी की ओर से घोषणा खातेदारी व बंटवाड़ा का निम्नलिखित वाद पेश कर निवेदन है कि :–

1–यह है कि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 हिन्दु है व हिन्दु मिताक्षरा शाखा की बनारस स्कूल से गर्वन होते है। तथा आपस में एक ही परिवार के सदस्य है। वादी के कोई सगी बहिन नहीं है। सजरा खानदान निम्न प्रकार से है :–

दयालराम फोत

हरीराम फौत पुत्र — रामदेव पुत्र — केसाराम फौत पुत्र

सुशील पुत्र, रामकंवरी पत्नि, मस्तुदेवी पुत्री, सुशीला पुत्री — घेवरी पत्नि, मंजुदेवी पुत्री, महेन्द्र पुत्र, सुमित्रा पुत्री

2–यह है कि ग्राम मुगदड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 929/521 रकबा 1.6000 हैक्टर, खसरा नंबर 930/431 रकबा 0.8000 हैक्टर कुल रकबा 2.40 हैक्टर व खसरा नंबर 498/746 रकबा 0.0600 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की सह खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई है। व मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 465 रकबा 1.86 हैक्टर व खसरा नंबर 505 रकबा 3.41 हैक्टर कुल रकबा 5.27 हैक्टर वादी व प्रतिवादी 1, 4 , 5 की पैतृक सह खातेदारी की भूमि आई हुई है।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर

यह है कि पैरा नंबर 2 में वर्णित आराजी को आगे वाद में मुतनाजा आराजी के नाम से आराजी के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

यह है कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 ने मुतनाजा आराजी का बंटवाड़ा कर लिया व माफिक बंटवाड़ा के वादी व प्रतिवादीगण काश्त व काबिज चले आ रहे है व सभी कारो अपने अपने हिस्से पर लगातार काश्त व काबिज है। मुतनाजा आराजी पर वादी व तिवादीगण अपने अपने हिस्से पर माफिक बंटवाड़ा के काबिज चले आ रहे है। परन्तु तेदारीमें नाम माफिक बंटवारा के नहीं होने से वादी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। अभी बंटवाड़ा बाई मिट्स बाउण्डस नहीं होने से वादी को सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए वादी यह खातेदारी की घोषणा का वाद पेश कर रहा है।

यह है कि मुतनाजा आराजी का बंटवारा पक्षकारान ने पारिवारिक बंटवाड़ा कर लिया है। निम्न प्रकार से है :–

वादी सुशील के बंट में–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 465 रकबा 1.8600 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 929/521 रकबा 1.60 हैक्टर में सें रकबा 0.80 हैक्टर माफिक नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी रामकंवरी के बंट में :–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 505 रकबा 3.4100 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी महेन्द्र के बंट में :–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 929/431 रकबा 1.6100 हैक्टर में सें 0.80 हैक्टर माफिक जरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी संख्या रामदेव के बंट में :–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 930/431 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 02 महेन्द्र व प्रतिवादी संख्या 03 रामदेव के सामलाती के बंट में:–

मौजा मुगदड़ा की सरहद स्थित खसरा नंबर 498/746 रकबा 0.06 हैक्टर में सें 1/3 भाग वादी सुशील का व 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 02 महेन्द्र व 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 03 रामदेव के बंट में रखा गया है।

उपरोक्त बताये अनुसार बंटवाड़ा घोषित किया जाकर राजस्व नक्शे में अलग अलग तरमीम किया जावे व शेष खातेदारान का नाम राजस्व रेकर्ड में सें हटाया जावें।

6–यह है कि उपरोक्त बताये माफिक पक्षकारान अपने अपने बंट की भूमि पर काश्त व काबिज है। तथा मौके पर अलग अलग सीवें माठें कायम कर ली है। वादी व प्रतिवादीगण का नाम खातेदारी में माफिक बंट के नहीं होने से वादी को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पैरा नंबर 5 में बताये अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम से अलग अलग बंट कर दिया जावें। उक्त आराजी के अलावा जो भूमि वादी व प्रतिवादीगण के पास थी जिसका वादी व प्रतिवादीगण ने आपस में बंट कर लिया है।

7–यह है कि उपरोक्त खसरान का बंटवाड़ा जुबानी रूप से पक्षकारान ने कर लिया है। मगर कानूनी रूप से बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस नहीं हुआ है। जिससे अभी तक माफिक बंट के अलग अलग खातेदारी का इन्द्राज नहीं हुआ है। जिससे वादी वादग्रस्त खसरान का बंटवारा बाई मिट्स बाउण्डस करवाने हेतू यह बंटवाड़ा का वाद पेश कर रहा है।

8–यह है कि इस्तदुआ वादी यह है कि दावा वादी की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण मय खर्चा के निम्नलिखित तरीके सादिर फरमायी जावें।

1–ग्राम मुगदड़ा की सरहद में खेत खसरा नंबर 929/521 रकबा 1.6000 हैक्टर, खसरा नंबर 930/431 रकबा 0.8000 हैक्टर कुल रकबा 2.40 हैक्टर व खसरा नंबर 498/746 रकबा 0.0600 हैक्टर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की सह खातेदारी की पैतृक भूमि आई हुई है। व मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 465 रकबा 1.86 हैक्टर व खसरा नंबर 505 रकबा 3.41

उपखण्ड अधिकारी रियांबर
जिला–नागौर

कुल रकबा 5.27 हैक्टर वादी व प्रतिवादी संख्या 1,4,5 की पैतृक सह खातेदारी की हुई है।

यह है कि विवातिद खसरान का बंटवाड़ा वाद पत्र के पैरा संख्या 5 में बताये अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किया जाकर माफिक बंटवाड़ा वादी के नाम अलग खातेदारी का इन्द्राज किया जावें। माफिक बंटवाड़ा वादी का सेपरेट पजेशन कायम करवाया जावें।

यह है कि दीगर दादरसी मुफिद वादी हो अतः फरमायी जावें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन जबाब बाबत तलब किया गया। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 9 मय वकील के दिनांक 12.08.2024 को न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर अपना राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा बाद पहचान से राजीनामा तस्दीक किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस समायत की गई। वकील वादी ने अपनी बहस में बताया कि वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। मुतनाजा आराजी पैतृक भूमि है। पक्षकारान के बीच वादग्रस्त आराजी का मौके पर बंटवारा किया हुआ है। मगर भूमि सह खातेदारी में दर्ज है। जिससे सरकारी योजनाओ का लाभ नहीं मिल रहा है। पक्षकारान ने अपनी सहमति से बंटवारा करवाना चाहते है इसलिए राजीनामा पेश कर लिया गया है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर मौजुद राजस्व रेकार्ड तथा जमाबंदी मौजा मुगदड़ा का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 9 की सह खातेदारी की है। भूमि पैतृक है जो विरासत से प्राप्त हुई है। आपसी सहमति से बंटवाड़ा बाई मिट्स करवाना चाहते है इसलिए राजीनामा पेश कर दिया गया है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत पैतृक भूमि का बंटवारा उनके वारिसार के बीच किया जाना उचित है। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा के स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस निम्न प्रकार से किया जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।

वादी सुशील के बंट में–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 465 रकबा 1.8600 हैक्टर सम्पूर्ण व खसरा नंबर 929/521 रकबा 1.60 हैक्टर में सें रकबा 0.80 हैक्टर माफिक नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी रामकंवरी के बंट में :–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 505 रकबा 3.4100 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी महेन्द्र के बंट में :–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 929/431 रकबा 1.6100 हैक्टर में सें 0.80 हैक्टर माफिक नजरी नक्शा अनुसार बंट में रखा गया है।

प्रतिवादी ~~संख्या~~ रामदेव के बंट में :–

मौजा मुगदड़ा के खसरा नंबर 930/431 रकबा 0.80 हैक्टर सम्पूर्ण बंट में रखा गया है।

वादी व प्रतिवादी संख्या 02 महेन्द्र व प्रतिवादी संख्या 03 रामदेव के सामलाती के बंट में:–

मौजा मुगदड़ा की सरहद स्थित खसरा नंबर 498/746 रकबा 0.06 हैक्टर में सें 1/3 भाग वादी सुशील का व 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 02 महेन्द्र व 1/3 भाग प्रतिवादी संख्या 03 रामदेव के बंट में रखा गया है।

उपरोक्त बताये अनुसार बंटवाड़ा घोषित किया जाकर राजस्व नक्शे में अलग अलग तरमीम किया जावे व शेष खातेदारान का नाम राजस्व रेकर्ड में सें हटाया जावें।

तहसीलदार रियांबड़ी पक्षकारान के बीच उपरोक्तानुसार बंटवारा बाई मिट्स किया जाकर संलग्न नजरी नक्शा अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर नक्शे में तरमीम की जावें एंव वादी व प्रतिवादी का सेपरेट पजेशन कायम किया जावें। इसी आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार रियांबड़ी को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 16/10/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला-नागौर